कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/रिफ्रे./जयपुर /10/ 29 दिनांक: 12 जून,2012

निदेशक,

अकादमी स्टाफ कॉलेज,

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

विषय: दिनांक: 02.07.12 से 21.07.2012 तक फाइन आर्ट विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स बाबत्।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक: एएससी/2012/148 दिनांक: 09.05..2012

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांक: 02.07.12 से 21.07.2012 तक फाइन आर्ट विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	संगीता आर्य	संगीत	राजस्थान सगीत संस्थान जयपुर
2	गौरव जैन	संगीत	राजस्थान सगीत संस्थान जयपुर
3	नरेन्द्र कुमार	संगीत	राजकीय कन्या महाविद्यालय अलवर
4	सुनीता श्रीमाली	संगीत	प्रतिनियुक्ति कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा / राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाडा
5	सोहन लाल बलाई	चित्रकला	राज0 महा0, सरदारशहर
6	निधि मीणा	चित्रकला	राज0 महा0, कोटा
7	दिनेश कुमार वर्मा	चित्रकला	राज0 महा0, बून्दी
8	जगमोहन माथोडिया	चित्रकला	राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर
9	मंजू परिहार	चित्रकला	राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र आप अपने स्तर पर भेजें तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले व्याख्याताओं की सूची निदेशालय को भिजवायें। जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले व्याख्याताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,

ह0/निभाजी

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/रिफ्रे./जयपुर /10/ 29 दिनांकः 12 जून,2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :--

(अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 02.07.12 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

(ब) व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य है।

(स) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से ओरियेन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें, अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही ओरियेन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्रहित को देखते हुऐ अतिरिक्त कक्षाऐं लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।

2. संबंधित व्याख्याता -- यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2013 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

5. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर डालने का श्रम करें।

6. रक्षित पत्रावली ।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर